फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय श्यामसुन्दर बनाम देवीराम वगै0 किस्म मुकदमा:, प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मिसल नंबर:- 302/22	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
08.09.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के वकील ने उपस्थित होकर मूल-वाद के साथ प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक ~~07.10.2022~~ 14.09.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज०	
14/09/22	पत्रावली आज पेश हुई. अप्रार्थी नं.01 की हाजिरी मेरे अधीन ध्यान जो उप०, अप्रार्थी नं. 02 की तामील की आमद पत्रावली दिनांक 19/09/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज०	
19/09/22	पत्रावली आज पेश हुई. वकील अप्रार्थी नं.01 ने प्रा.पत्र की बाबत अनापत्ति प्रस्तुत की. पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/9/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज०	T-1 ... for ...
28/09/22	पत्रावली आज पेश हुई, अप्रार्थी नं.01 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 R.T. Act को स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सही व स्वीकार योग्य है प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति क्रमश:-	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय श्यामसुन्दर बनाम देवीराम वगै0 किस्म मुकदमा:, प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मिसल नंबर:- 322/22
	नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी के कथनो पर विचार किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उपरोक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र की बाबत प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act स्वीकार फरमाया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक खा. ख. नं. 670/0.78 है स्थित ग्राम बेला तह. सीकरी पर अप्रार्थी नं. 01 के हिस्से की आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुंतकिल न करें, सायल के कब्जे काश्त में अड़चन मदाखलत नहीं करें। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कैफियत सुधार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (सुरेन्द्र प्रसाद) उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज0

Scanned with CamScanner